39
25.2.16

न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर (प्र०श्रे०)/ उप जिलाधिकारी सरोजनीनगर लखनऊ वाद सं० 62/2015-16, धारा 143 ज०वि० एवं भू०सु० अधि०, ग्राम बेंती, हीरालाल बनाम ट्रस्ट कौंसिल आफ एजूकेशन बनाम उ०प्र० सरकार दिनांक 25.02.016 के आदेश की सत्यापित छायाप्रति संलग्न की [illegible] किया जाना। —x— —x—

न्यायालय असि0 कलेक्टर (प्र0श्रे0) / उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर लखनऊ

वाद संख्या 62/2015-16
धारा 143 ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0
ग्राम- बेंती

हीरालाल यादव ट्रस्ट आफ एजूकेशन बनाम उ0प्र0 सरकार

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही हीरालाल यादव मेमोरियल ट्रस्ट आफ एजूकेशन कार्यालय गौरी सरोजनीनगर लखनऊ द्वारा मुख्य ट्रस्टी रामसिंह यादव एडवोकेट पुत्र स्व0 हीरालाल यादव निवासी गौरी परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर लखनऊ के प्रार्थनापत्र पर प्रारम्भ की गयी । प्रार्थनापत्र में कहा गया कि ग्राम बेंती परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर लखनऊ की खसरा संख्या 593स / 7.1160 हे0 में से रकबा 1.2650 हे0 पर वादी का नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। गैर कृषिक घोषित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रार्थनापत्र की जांच तहसीलदार सरोजनीनगर से करायी गयी । तहसीलदार सरोजनीनगर की जांच आख्या न्यायालय को प्राप्त हुई आख्या में उल्लेख किया गया है कि ग्राम बेंती की खसरा संख्या 593स / 6.973 हे0 में से रकबा 1.2650 हे0 पर वादी का नाम संक्रमणीय भूमिधर खतौनी में अंकित है। उक्त भूमि संस्था के नाम से निर्माण है। जिसपर विद्यालय संचालित है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि का कार्य नहीं किया जा रहा है। भूमि को गैर कृषि प्रयोजन घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर पक्षों को नोटिस जारी की गयी । जो बाद तामीला शामिल मिसिल है। दौरान मुकदमा किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी । तहसीलदार सरोजनीनगर की जांच आख्या व संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया । ग्राम बेंती परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर लखनऊ की खतौनी वर्ष 1420-1425 फ0 के खाता संख्या. 611 की गाटा संख्या 593मि / 2.6873 हे0 पर वादी का नाम सहखातेदार के रूप में संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि का कार्य नहीं किया जा रहा है। भूमि का उपयोग गैर कृषिक रूप में किया जा रहा है। जिसपर विद्यालय संचालित है। भूचित्र की फोटो ग्राफ संलग्न किया गया है। भूमि को गैर कृषि प्रयोजन घोषित किये जाने की संस्तुति तहसीलदार सरोजनीनगर द्वारा की गयी है।

अतः तहसीलदार सरोजनीनगर की जांच आख्या व संलग्न अभिलेखों के आधार पर ग्राम बेंती परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर लखनऊ की खतौनी वर्ष 1420–1425 फ0 के खाता संख्या 611 की गाटा संख्या 593मि / 2.6873 में से रकबा 1.2650 हे0 मालगुजारी 60 ख को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः तहसीलदार सरोजनीनगर की जांच आख्या के आधार पर हीरालाल यादव मेमोरियल ट्रस्ट आफ एजूकेशन कार्यालय गौरी सरोजनीनगर लखनऊ द्वारा मुख्य ट्रस्टी रामसिंह यादव एडवोकेट पुत्र स्व0 हीरालाल यादव निवासी गौरी परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर लखनऊ के नाम दर्ज ग्राम बेंती परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर लखनऊ की गाटा संख्या 593मि / 2.6873 मे से रकबा 1.2650 हे0 मालगुजारी 60ख को अकृषिक घोषित किया जाता है। यह घोषण केवल भूराजस्व की दृष्टि से की जा रही है। अन्य अधिनियमों एव मास्टर प्लान पर इसका प्रभाव नही होगा इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना 2021 के अनुसार अनुमन्य होगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु उपयोग किया जाता है तो धारा 144 ज0वि0 एवं भू0व्य0 अधि0 के तहत तहसीलदार आख्या प्रस्तुत करेंगे । पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य कभी भी अविधिक एवं फर्जी पाये जाने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा । परवाना अमलदरामद जारी हो । आदेश की प्रति उपनिबन्धक लखनऊ को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो ।

दिनांक 24.02.16

(रामनारायण यादव)
असि0कलेक्टर (प्र0श्रे0) / उपजिलाधिकारी
सरोजनीनगर लखनऊ

प्रतिलिपिकार ....
तुलनाकार ....
तिथि 25.02.016

प्रमाणित
25/2/16
(हैडर)
उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर